5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

15/-

R 203-II/07

न्यायालय श्री मान माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण क्र0 सन 2006

उमाशंकर तनय श्री दरबारी लाल ब्राम्हण निवासी कदारी
नाबालिग द्वारा वलीसरपरस्त पिता दरबारी लाल
निवासी कदारी तहसील छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0 - निगरानीकर्ता

बनाम

मुसा0 पार्वती पत्नीमहाप्रसाद ब्राम्हण निवासी ग्राम कदारी
तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0 - गैरनिगरानीकर्ता

श्री मुकेश भार्गव द्वारा आज दि0 29-1-07 को प्रस्तुत।
29.1.07
रीडर सचिव
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

निगरानी अतिरिक्त कमिश्नर सागर के प्रकरण क्र0 15/अ-06/1 में पारित आदेश दिनांक 28/11/06 के विरुद्ध

निगरानी म0प्र0 भू0रा0 संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत

महोदय,

आवेदक निगरानीकर्ता निम्न लिखित कारणों पर यह निगरानी प्रस्तुत कर आवेदित हैं :-

1. यह कि तहसीलदार के आदेश प्रकरण क्र023/अ-6/94-95 में पारित आदेश दिनांक 6/10/06 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के द्वारा एक अपील 98-99 में पारित आदेश दिनांक 5/10/2000 केविरुद्ध निगरानी अतिरिक्तकमिश्नर सागर कीन्यायालय में प्रस्तुतकी गयी थी और उक्त अपील प्रकरण क्र0 1 अपील/98-99 में आदेश दिनांक 5/10/2000 के विरुद्ध योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी जिसमें माननीय राजस्व मण्डल नें निगरानी प्रकरण क्र0 1014/2/2002 में पारित आदेश दिनांक 31/5/2005 में योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 31/5/05 में अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करते हुए द्वितीय अपील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था कि अवयस्क साक्षियों के विवेचन और विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में गुणागुण पर वाद का निराकरण किया जाए योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व

मुकेश भार्गव
29-1-07 एडवोकेट
ग्वालियर

1. Admitted.
2. Call for records.
3. Notice to n-as.
4. No party will transfer the property by any means till the disposal of this case

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 203-II/07

जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–10–2015	निगरानी प्रकरण कमांक 203–दो/07 राजस्व मण्डल में, अपर आयुक्त, सागर के प्रकरण कमांक 15/अ–6/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 28–11–06 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ । अपर आयुक्त द्वारा उनका यह आदेश राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक 1014–दो/02 में पारित आदेश दिनांक 31–5–2005 में प्रत्यावर्तन के उपरान्त पारित किया गया था । प्रकरण में गैरनिगराकार पार्वती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सिविल वाद कमांक 9ए/09 में चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश, जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–14 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वाद विषय के संबंध में गैर निगराकार पार्वती के पक्ष में सव्यय निर्णय हुआ है । सिविल वाद में हुए इस निर्णय के प्रकाश में यह निगरानी, तहसीलदार को सिविल वाद के इस निर्णय के अनुसार आगामी कार्यवाही करने के निर्देश के साथ समाप्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दा0द0 हो । (आशीष श्रीवास्तव) सदस्य	प